संख्या-589/2023/2025/22-2-2023-17(688)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषयः-जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लाखन सिंह पुत्र श्री भरतरी, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31-03-2023 दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी लाखन सिंह पुत्र श्री भरतरी, निवासी खेड़ा नारायन सिंह, थाना-अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 18.06.2011 को बन्दी लाखन सिंह व तेजपाल साथ में मछली पकड़ने नहर पर गये वही दोनों में झगड़ा हो जाने के कारण तेजपाल का गला दबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-108/2014 में भा0द0वि0 की धारा-304 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 25.02.2022 द्वारा 10 वर्ष कारावास एवं 10, 000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.09.2022 तक 09 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने बंदी जेल से रिहा होकर बाहर आता है तो आपस में तनाव/अप्रिय घटना घटित हो सकने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा अपरिहार 09 माह 21 दिन तथा सपरिहार 10 माह 09 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लाखन सिंह (बन्दी संख्या-83/2022) पुत्र श्री भरतरी, निवासी जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-589/2023/2025(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को एस0एम0 रिट याचिका (क्रि0) संख्या-04/2021 इन री स्टेजी फार आफ वेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।